[ 2022 ] 14 एस सी आर 1100

एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड

वी.

मेसर्स मिलन डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड एंड

एएनआर।

( 2022 की सिविल अपील संख्या 1689)

अप्रैल 1,2022

[ एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: एसएस। 96 , 115 और Or.VII r। 11 - परक्राम्य लिखत अधिनियम-ss. 118 , 138 - विशिष्ट राहत अधिनियम-एस.

34 , 41 – घोषणा के लिए वाद-वाद की अस्वीकृति-प्रतिवादी

नहीं। 1 पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क के निर्यात के व्यवसाय में लगे हुए, उनके पास अपना व्यवसाय करने के लिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी से लाइसेंस पर एक भूखंड था-प्रतिवादी नं। 1 और अपीलार्थी एक में प्रवेश किया

सहयोग समझौता, हालांकि, प्रत्यर्थी सं। 1 , इसे प्रभावी नहीं किया गया-इसके बाद, अपीलार्थी ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई उत्तरदाता नं। 1 उल्लङ्घन के लिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के साथ

उसके लाइसेंस के नियम और शर्तें-पार्टियों ने तब एक

समझौता ज्ञापन इस बात पर सहमत है कि अपीलार्थी इसे स्वीकार करेगा

प्रत्यर्थी को दिए गए भूखंड के लाइसेंस की सुरक्षा के लिए कदम नं। 1 रद्द करने से और कि प्रत्यर्थी नं। 1 अपीलार्थी के पक्ष में Rs.56 लाख के लिए एक चेक जारी करेगा और वह प्रत्यर्थी नं. 2 प्रतिभूति के रूप में, जो 3876 एम. टी. लौह अयस्क की लागत के बराबर है, और यदि अपीलार्थी लाइसेंस को रद्द होने से बचाने में सफल हो जाता है तो प्रत्यर्थी नं.

1 अपीलार्थी को लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति करेगा-तदनुसार चेक

प्रत्यर्थी को दिया गया था नं। 2 हालाँकि, प्रतिभूति के रूप में, अपीलार्थी ने भूखंड के लाइसेंस को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और लाइसेंस था रद्द कर दिया गया और Rs.56 लाख का चेक उन्हें सौंप दिया गया

अपीलार्थी, जिसने उसी को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया और उसे मिल गया

असम्मानित-अपीलार्थी ने यू/एस नोटिस जारी किया। 138 प्रत्यर्थी को एन. आई. अधिनियम सं. 1 - उत्तरदाता नं. 1 फिर अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के खिलाफ घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। 2 कि जिस चेक का अनादर किया गया था, उसे उसने प्रत्यर्थी नं. 2 प्रतिभूति के रूप में और उस अपीलार्थी ने इस पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया था

उत्तरदाता के रूप में चेक नं। 1 अपीलार्थी के पक्ष में निर्वहन का कोई दायित्व नहीं था-अपीलार्थी ने तब यू/ओआर आवेदन दायर किया। VII

नियम 11-वाद की अस्वीकृति की मांग-निचली अदालत द्वारा खारिज किया गया,

1100 एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड।

हालांकि, पुनरीक्षण अदालत ने निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और शिकायत को खारिज कर दिया-रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को यह मानते हुए रिमांड पर भेज दिया कि पुनरीक्षण अदालत ने खारिज करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था शिकायत-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्णय सही नहीं था कि पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था और वह आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन की अनुमति नहीं दे सकता था और इस तरह निचली अदालत के आदेश को उलट दिया और अंत में मुकदमे का निपटारा कर दिया-उच्च न्यायालय एस के लिए दूसरे परंतुक की सराहना करने में विफल रहा। 115 सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) के अपने सही परिप्रेक्ष्य में-पुनरीक्षण न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय होने के नाते, जैसा भी मामला हो, उस आदेश को उलट सकता है जो अंततः मुकदमे या अन्य कार्यवाही का निपटारा करेगा-पुनरीक्षण न्यायालय जिला न्यायालय होने के नाते,

एक ही।

एस। 115 और आदेश VII नियम 11-विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963-ss। 34,41 - परक्राम्य लिखत अधिनियम-ss. 118 , 138 - पुनरीक्षण न्यायालय-जिला न्यायालय यू/ओआरडी दायर आवेदन को अनुमति देता है। VII आर 11 अपीलार्थी द्वारा और इस प्रकार दायर की गई शिकायत को अस्वीकार करते हुए

उत्तरदाता नं। 1 - का औचित्य-अपीलार्थी का मामला कि प्रत्यर्थी नं। 2 उसने केवल यह घोषणा करने की मांग की है कि अपीलार्थी के नाम से जारी किया गया चेक एक प्रतिभूति था और अपीलार्थी को इसे भुनाने का कोई अधिकार नहीं था और उसने आगे या परिणामी राहत की मांग नहीं की है, इस प्रकार, मुकदमा विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत वर्जित है और प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमा नं। 1 संभावना को विफल करने का प्रयास है

चेक के अपमान के लिए एन. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू करने वाला अपीलकर्ता-आयोजितः प्रत्यर्थी की ओर से चूक सं। 1 आगे परिणामी राहत के लिए प्रार्थना करने में, केवल मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय प्रासंगिक हो जाएगा-प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने का अपीलार्थी का अधिकार नं। मैं प्रत्यर्थी सं. द्वारा जारी किए गए चेक के अपमान के कारण। 1 यह घोषणा करने की मांग करके निराश नहीं किया जा सकता है कि उक्त चेक को प्रतिभूति के रूप में सौंपा गया था-ऐसी घोषणा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह एन. आई. अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होगा और विशेष रूप से एस। 118 ( क) उसका-इन परिस्थितियों में, जबकि प्रत्यर्थी नं। 1 अपीलार्थियों के खिलाफ समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाली कुछ शिकायतें हैं जो उचित माँग को जन्म दे सकती हैं

कानून में उपचार, वाद में मांगी गई घोषणात्मक राहत कानून द्वारा वर्जित है-इसलिए, वाद यू/या अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी है। VII आर। 11 सीपीसी।

2 ] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश VII नियम 11-शिकायत की अस्वीकृति-उद्देश्य/उद्देश्य -

चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गयाः 1.1 यह ध्यान दिया जाता है कि उड़ीसा संशोधन सी. पी. सी. की मुख्य धारा 115 से अलग है। सी. पी. सी. की मुख्य धारा 115 का पहला प्रावधान उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति को प्रतिबंधित करता है। क्योंकि पुनरीक्षण केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब वह किसी ऐसे पक्षकार द्वारा दायर किया जाता है जो किसी मुद्दे का निर्णय करने वाले आदेश पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होता है, जिसे यदि पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया जाता, तो अंततः वाद या अन्य कार्यवाही का निपटारा कर दिया जाता। लेकिन सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे परंतुक के अनुसार, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, उक्त धारा के तहत, किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के आदेश सहित किसी भी आदेश को बदल या उलट कर सकता है, केवल तभी जब आदेश यदि इतना भिन्न या उलट हो तो अंततः मुकदमे या अन्य कार्यवाही का निपटारा कर देगा या आदेश यदि खड़ा होने की अनुमति दी जाती है तो न्याय की विफलता का कारण बन सकता है या न्याय को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है।

पार्टी जिसके खिलाफ इसे बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, सी. पी. सी. की धारा 115 में उड़ीसा संशोधन के तहत, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को एक व्यक्त शक्ति प्रदान की जाती है, जो भी मामला हो,

पुनरीक्षण न्यायालय होने के नाते, उसके अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को केवल तभी परिवर्तित या उलटना जब वह अंत में वाद या अन्य कार्यवाहियों का निपटारा करेगा या यदि विवादित आदेश को खड़े होने की अनुमति दी जाती है तो न्याय की विफलता का कारण बन सकता है या अपूरणीय हो सकता है।

जिस पक्ष के खिलाफ यह किया गया था, उसे चोट पहुँचाना। [ पैरा 18] [1117-बी सी; 1118-ए-डी]

1.2 यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि तत्काल मुकदमा वर्ष 2009 में दायर किया गया था और इसलिए उड़ीसा

1991 के उड़ीसा अधिनियम 26, धारा 2 के माध्यम से सी. पी. सी. की धारा 115 में संशोधन लागू होगा। तथापि, 2010 के उड़ीसा अधिनियम 14 द्वारा, उप-धारा 2, धारा 115 को उड़ीसा विधानमंडल द्वारा संशोधित किया गया था और धारा 115 के दूसरे परन्तुक को संशोधित किया गया है और धारा 115 की उप-धारा 2 को जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, इस धारा के तहत, किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी मुद्दे को तय करने के आदेश सहित किसी भी आदेश को परिवर्तित या उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि आदेश, यदि यह मैसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के पक्ष में किया गया है।

पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार अंततः वाद या अन्य कार्यवाही का निपटारा करेगा। इसके अलावा, धारा 115 के दूसरे परंतुक के खंड 1 को वर्ष 2010 में किए गए संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और उप-धारा 3 को जोड़ा गया है। इस प्रावधान में कहा गया है कि एक संशोधन मुकदमे या अन्य के स्थगन के रूप में काम नहीं करेगा।

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही सिवाय जहां ऐसा वाद या अन्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है। धारा 115 की उप-धारा 1 उड़ीसा संशोधन अधिनियम 2010 के संदर्भ को छोड़कर 1991 के उड़ीसा संशोधन के समान है। [ पारस 19,20] [1118-ई-एच; 1119-ए]

1.3 उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था और वह ऐसा नहीं कर सकता था

सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी है और इस तरह निचली अदालत के आदेश को उलट दिया है और अंत में मुकदमे का निपटारा किया है। वास्तव में, उच्च न्यायालय सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे प्रावधान की सराहना करने में विफल रहा है। अपने सही परिप्रेक्ष्य में। पुनरीक्षण न्यायालय, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय होने के नाते, उस आदेश को उलट सकता है जो अंततः वाद या अन्य कार्यवाही का निपटारा करेगा। जिला न्यायालय होने के नाते पुनरीक्षण न्यायालय ने 2012 की सी. आर. पी. संख्या 5 की याचिका में ठीक यही किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए पुनरीक्षण न्यायालय (जिला न्यायालय) को भेज दिया, प्रतिवादी नं। 1 / सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत इसमें अपीलकर्ता की अस्वीकृति की मांग

शिकायत करें। वास्तव में, तत्काल मामले में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे परंतुक के अनुसार है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि पुनरीक्षण न्यायालय के पास सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर वाद को अस्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। द.

उच्च न्यायालय का तर्क धारा 115 (उड़ीसा संशोधन) के स्पष्ट परंतुक के विपरीत है। [ पैरा 21,22] [1120-बी-ई; 1122 डी-ई] 1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाद की अस्वीकृति सी. पी. सी. की धारा 2 (2) के अर्थ के भीतर एक डिक्री है और एक अपील ऐसे न्यायालय के निर्णय से अपील सुनने के लिए अधिकृत न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री से होती है।

2 ] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब कोई पुनरीक्षण अदालत किसी वाद को खारिज कर देती है, तो आदेश के तहत दायर आवेदन को सार रूप में खारिज कर दिया जाता है। सातवें नियम 11 की अनुमति दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उपचार का लाभ उठाया जा सकता है और प्रतिवादी नं। 1 / याचिकाकर्ता ने

तत्काल मामले में उक्त उपाय का सहारा लिया; हालाँकि यदि वाद को निचली अदालत यानी मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया होता, तो इसके परिणामस्वरूप सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत अपील करने का अधिकार होता। सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे परंतुक को ध्यान में रखते हुए, एक पुनरीक्षण अदालत सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करती है।

पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध होगा और प्रतिवादी नं। 1 उक्त उपचार का लाभ उठाया है। [ पारस 23,24] [1122-ई-एच; 1123-ए]

1.5 शिकायत को पढ़ने पर, तत्काल मामले में यह ध्यान दिया जाता है कि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है क्योंकि समझौता ज्ञापन दिनांकित है।

17 जनवरी, 2009 में, वादी और प्रतिवादी नं. 1 प्रतिवादी सं. की उपस्थिति में। 2 और उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार किए गए कार्य शिकायत का आधार हैं वादी। [ पैरा 28] [1128-सी-डी]

वास्तव में, आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन के पैरा 2 में सी. पी. सी., प्रतिवादी नं. 1 शिकायत में किए गए कथनों को भी शामिल किया गया है। इसलिए, इस आधार पर शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 29] [1129-डी-ई]

1.7 वाद की अस्वीकृति की मांग करने वाले आवेदन का मुख्य जोर यह है कि इस तथ्य के अलावा कि वाद कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा नहीं करता है जिसे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और ठीक ही है, वादी ने केवल घोषणात्मक राहत की मांग की है और आगे या परिणामी राहत की मांग नहीं की है। में

परिस्थितियों में, मुकदमा एस. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्जित है। धारा 34 के परंतुक में कहा गया है कि कोई भी अदालत ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती है जहां वादी, केवल स्वामित्व की घोषणा के अलावा और राहत लेने में सक्षम होने के कारण, ऐसा करने से चूक जाता है।

उक्त प्रश्न मेसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड।

मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय इस पर विचार करना होगा क्योंकि आगे राहत या परिणामी राहत देने का सवाल केवल तभी उत्पन्न होगा जब अदालत एक घोषणा प्रदान करेगी। यदि वादी घोषणा की मुख्य राहत की मांग करने में असफल रहता है, तो आगे कोई राहत देने का सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए, आगे परिणामी राहत के लिए प्रार्थना करने में वादी की ओर से चूक, मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय ही प्रासंगिक होगी। इसलिए इस स्तर पर वाद को यह मानते हुए खारिज नहीं किया जा सकता है कि वादी ने केवल घोषणात्मक राहत की मांग की है और आगे कोई परिणामी राहत नहीं। [ पैरा 31] [1129-एच; 1130-ए-बी, ई-जी]

1.8 एस. एस. पढ़ने पर। 118 ( क) और एन. आई. अधिनियम की 138, यह स्पष्ट है कि एक खंडन योग्य धारणा है कि प्रत्येक परक्राम्य है।

एक चेक सहित लिखत को विचार के लिए बनाया या तैयार किया गया था और ऐसा प्रत्येक लिखत जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो विचार के लिए होता है। [ पैरा 33] [1132-डी-ई]

1.9 शिकायत को पढ़ने पर, यह स्पष्ट होता है कि जारी किए गए चेक का अपमान किया गया था और प्रतिवादी नं। 1 जारी किया था

प्रतिभूति और यह कि प्रतिवादी नं. द्वारा इसे अवैध रूप से सौंपा गया था। 2 प्रतिवादी नं. 1 समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए, वादी वास्तव में धारा 138 के तहत शुरू की जा रही कार्यवाही को विफल करने का प्रयास कर रहा है। एन. आई. अधिनियम या दीवानी मुकदमा दायर करके राशि की वसूली के लिए। [ पैरा 34] [1132-ई-एच]

1.10 वाद के समग्र अध्ययन पर और वादी द्वारा मांगी गई राहतों पर विचार करने पर, उक्त राहतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है -

कानून इस प्रकार है कि किसी भी वादी को ऐसे मुकदमे में राहत लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो प्रतिवादियों को [2022] 14 एस. सी. आर. शुरू करने से हतोत्साहित करेगा।

वादी के खिलाफ अभियोजन या कानून में उपलब्ध किसी अन्य उपाय की मांग करना। वास्तव में, वादी द्वारा इस तरह की घोषणात्मक राहत पाने का प्रयास, सार में, राहत पाने के लिए है प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा, विशेष रूप से प्रतिवादी सं। 1 , लेकिन इसे एक घोषणात्मक राहत की प्रकृति में तैयार किया गया। दूसरे शब्दों में, वादी ने प्रतिवादी नं. 1 से

वादी द्वारा रुपये की राशि के लिए जारी किए गए चेक के कारण कानून में उपचार की मांग करना। 56 लाखों का अपमान किया जा रहा है। इसके अलावा, मांगी गई घोषणात्मक राहत की प्रकृति पहले से ही वादी और प्रतिवादी सं. 17 जनवरी, 2009 के बीच हुए समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होती है। 1 जिसके संबंध में वादी उचित उपचार की मांग कर सकता है, यदि उक्त समझौता ज्ञापन का उल्लंघन होता है

प्रतिवादी नं. 1 , लेकिन वादी इस प्रभाव के लिए घोषणात्मक राहत की मांग नहीं कर सकता है कि वादी अपने कार्य को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं था

समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत दायित्व। यदि वादी ऐसा करने में विफल रहा है तो प्रतिवादी नं। 1 वादी के खिलाफ कार्रवाई का कारण होगा, लेकिन तत्काल मामले की तरह अनुबंध या समझौता ज्ञापन के तहत घोषणा की मांग के माध्यम से कानूनी रूप से उपचार की मांग करने के अधिकार की निराशा नहीं हो सकती है। [ पारस 35,36] [1133-ए-सी; 1135-एफ-एच]

1.11 इसके अलावा, प्रतिवादी का अधिकार सं। 1 मुकदमा चलाने के लिए

वादी द्वारा रुपये की राशि के लिए जारी किए गए चेक के अपमान के कारण वादी। 56 उक्त चेक को प्रतिभूति के रूप में सौंपने की घोषणा की मांग से लाखों निराश नहीं हो सकते हैं। ऐसी घोषणा को प्रत्यक्ष रूप से मंजूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एन. आई. अधिनियम और विशेष रूप से इसकी धारा 118 (ए) के प्रावधानों के विपरीत होगी। यदि वादी प्रतिवादी सं. द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण व्यथित है। 1 तब वह कानून के अनुसार उचित राहत की मांग कर सकता है। क्या वादी रुपये का चेक जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। 56 प्रतिवादी नं. को लाख। 1 समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत एक ऐसा मामला है जिस पर उचित कार्यवाही में विचार किया जाना चाहिए

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत उक्त चेक के अपमान के कारण प्रतिवादियों द्वारा शुरू किया जाना। वादी हमेशा यह साबित कर सकता है कि उसका कोई कानूनी दायित्व या ऋण नहीं था जिसे प्रतिवादी सं. 1 समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत, यदि कोई कार्यवाही

प्रतिवादी सं. द्वारा आरंभ किया जाना। 1 उक्त चेक के अपमान के कारण। इसके अलावा, यदि प्रतिवादी नं। 1 वादी मेसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v द्वारा 3876 मीट्रिक टन लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति न करने के लिए कोई राहत प्राप्त करना है।

मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड।

उसी समझौता ज्ञापन के तहत वादी उचित बचाव करने का हकदार है जैसा कि कानून में उपलब्ध है। यदि वादी को प्रतिवादियों और विशेष रूप से प्रतिवादी के खिलाफ कोई शिकायत है। 1 , समझौता ज्ञापन से उत्पन्न इस तरह की प्रार्थना वादी द्वारा नहीं मांगी गई है। वादी द्वारा इस तरह की राहत की मांग की जा सकती थी क्योंकि रुपये की वसूली के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। 21.50 प्रतिवादी नं. से लाखों। 1 जो वादी के अनुसार देय है

इसके लिए। [ पैरा 37] [1136-ए-ई]

कानून में उचित उपचार की मांग को जन्म दे सकता है, वाद में मांगी गई उपरोक्त तीन घोषणात्मक राहत कानून द्वारा वर्जित हैं। इसलिए, आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए शिकायत को खारिज किया जा सकता है। पुनरीक्षण अदालत ने वाद को खारिज कर दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अदालत के आदेश की सराहना किए बिना गलती से उसे रद्द कर दिया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और केवल इस आधार पर संशोधन पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए मामले को पुनरीक्षण अदालत को भेज दिया है कि पुनरीक्षण अदालत के पास वाद यू/एस को अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। 115. उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। शिकायत खारिज कर दी जाती है। [ पारस 38,39] [1136-ई-एच; 1137-ए]

पांडुरंग ढोंडी चौगुले और अन्य बनाम। मारुति हरि

जाधव और अन्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 153: [ 1966 ] 1 एससीआर 102; टेक सिंह बनाम। शशि वर्मा और अन्य (2019) 16 एस. सी. सी. 678 [2019] 3 एस. सी. आर. 697; टी. अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल और अन्र. ( 1977 ) 4 एससीसी 467 [1978] 1 एससीआर

742 ; अजहर हुसैन बनाम। राजीव गांधी (1986) पूरक एस. सी. सी. 315: [ 1986 ] 2 एस. सी. आर. 782; सोपान सुखदेव साबले और अन्य। वी. सहायक चैरिटी आयुक्त और अन्य

( 2004 ) 3 एससीसी 137: [ 2004 ] 1 एससीआर 1004; आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य। ( 1998 ) 2 एस. सी. सी. 70 [1997] 6 पूरक। एससीआर 683; लिवरपूल और लंदन एस. पी. और आई. एसोसिएशन। लिमिटेड वी. एम. वी. सी सक्सेस I और ए. एन. आर. ( 2004 ) 9 एससीसी 512: [ 2003 ] 5 पूरक। एससीआर 851;

मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद जलाल ( 2017 ) 13 एस. सी. सी. 174 [2017] 5 एस. सी. आर. 294; दहिबेन बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अरविंदभाई कल्याणजी भानुशाली (गजरा) का निधन

राजेंद्र बाजोरिया और अन्य बनाम। हेमंत कुमार जालान और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 764; हरदेश ऑरेस

( पी.) लिमिटेड बनाम हेड एंड कंपनी (2007) 5 एस. सी. सी. 614: [ 2007 ]

6 एस. सी. आर. 608; डी. रामचंद्रन बनाम आर. वी. जानकीरमन

( 1999 ) 3 एस. सी. सी. 367; सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य

( 2003 ) 1 एससीसी 557: [ 2002 ] 5 पूरक। एससीआर 491; कपास

कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक

सीमित और ओआरएस। ( 1983 ) 4 एससीसी 625: [ 1983 ] 3 एससीआर

962 ; रत्ना कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड v. वासुटेक लिमिटेड ए. आई. आर. 2008 डेल 99-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[ 1966 ] 1 एससीआर 102

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22 ए

[ 2019 ] 3 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22 ए

[ 1978 ] 1 एससीआर 742

पै

रा 25 (ए)

संदर्भित किया गया है

[ 1986 ] 2 एससीआर 782

पै

रा 25 (बी)

संदर्भित किया गया है

[ 2004 ] 1 एससीआर 1004

पै

रा 25 (सी)

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25 (सी)

[ 1997 ] 6 पूरक। एससीआर 683

संदर्भित किया गया है

[ 2003 ] 5 पूरक। एससीआर 851

पै

रा 25 (डी)

संदर्भित किया गया है

[ 2017 ] 5 एससीआर-294

पै

रा 25 (ई)

संदर्भित किया गया है

( 2020 ) 7 एस. सी. सी. 366

पै

रा 25 (एफ)

संदर्भित किया गया है

[ 2007 ] 6 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

( 1999 ) 3 एस. सी. सी. 367

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[ 2002 ] 5 पूरक। एससीआर 491

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[ 1983 ] 3 एससीआर 962

पै

रा 36 (ए)

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 168

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 19.01.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2013 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7059 में कटक में उड़ीसा का।

एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड।

श्रीमती राजदीपा बेहुरा, ए. वेनायगम बालन, फिलोमिन कानी, आश्रय बेहुरा, सुश्री नेहा लिंगवाल, सुश्री हंसिका साहू, स्वयंतोष रथ, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 2013 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.7059 में पारित 19 जनवरी, 2016 के आदेश पर हमला करके। उक्त आदेश द्वारा, इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन/प्रतिवादी सं। 1 आदेश VII के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के नियम 11 पर खुर्दा में जिला न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया है।

भुवनेश्वर (पुनरीक्षण अदालत) ने प्रतिवादी सं. द्वारा दायर 2012 की सी. आर. पी. सं. 5 को बहाल किया। 1 यहाँ। उक्त पुनरीक्षण प्रतिवादी नं. 1 निचली अदालत, अर्थात् सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), भुवनेश्वर द्वारा 2009 का सी. एस. होने के कारण उक्त आवेदन को खारिज किए जाने से व्यथित होकर, सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत को खारिज करने का अनुरोध करते हुए। 2. सुविधा के लिए, इसमें पक्षकारों को उनके पद और स्थिति के संदर्भ में निचली अदालत के समक्ष भेजा जाएगा।

3. संक्षेप में कहा गया है कि मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नं। 1 इसमें/वादी ने अपीलार्थी/प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था नहीं। 1 और प्रत्यर्थी नं। 2 यहाँ/प्रतिवादी सं। 2 निम्नलिखित राहतों की मांगः

" ( i) यह घोषित किया जाए कि वादी ने सुरक्षा के रूप में श्री दिलीप दास, अधिवक्ता को चेक सौंप दिया था;

यह घोषित किया जाए कि उक्त चेक अवैध रूप से किया गया है।

( (ख)

प्रतिवादी नं. द्वारा सौंपा गया। 2 प्रतिवादी नं. 1 ज्ञापन की अवधि और शर्तों का उल्लंघन करके दिनांकित समझ 17.01.2009;

यह घोषित किया जाए कि वादी डिलीवरी देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

( iii)

प्रतिवादी सं. को 3876 एम. टी. लौह अयस्क जुर्माना। 1 न ही चेक राशि क्योंकि प्रतिवादी नं। 1 सहेजने में विफल रहा है रद्द करने से वादी की साजिश; [2022] 14 एस. सी. आर.

€ ( (iv) वाद की लागत वादी के पक्ष में तय की जाए।

और अभियुक्तों के विरुद्ध;

( v)

के पक्ष में कोई अन्य डिक्री/फरमान पारित किया जाए

वादी जिसके लिए वादी कानून के तहत हकदार है और

इक्विटी "।

4. वादी के अनुसार, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह है

पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क के निर्यात के व्यवसाय में लगी हुई है जबकि प्रतिवादी नं। 1 यह कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी भी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश में है और इसकी शाखा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी है। प्रतिवादी नं. 1 पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में आपूर्ति और व्यापार करता है।

कि वादी ने प्लॉट No.RS-4 के संबंध में अपना लाइसेंस प्रतिवादी नं. 1 लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके। वादी के अनुसार, प्रतिवादी नं। 1 जनवरी 2009 में कहा गया कि वादी ने अवैध रूप से 4000 मीट्रिक टन लौह अयस्क का निर्यात किया था और

जब वादी ने अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से प्रतिवादी नं. 1 , 8 जनवरी, 2009 को पारादीप पुलिस स्टेशन में और उसके बाद 10 जनवरी, 2009 को प्रतिवादी नं. 1

वादी के अनुसार, प्रतिवादी नं। 1 पारादीप पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास इस आशय की एक और झूठी शिकायत दर्ज की कि वादी प्लॉट No.RS-4 के संबंध में अपने लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा था, जिसे प्रतिवादी नं. 1 और एक प्रति

शिकायत के साथ 24 दिसंबर, 2007 का सहयोग समझौता भी दायर किया गया था, जिस पर वास्तव में कार्रवाई नहीं की गई थी। उक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ने कारणदर्शक नोटिस जारी किया था

20 जनवरी, 2009 को वादी को नोटिस दिया गया और उसके बाद 18 फरवरी, 2009 के पत्र द्वारा वादी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

5. प्लॉट का लाइसेंस रद्द होने से आशंकित होना

No.RS-4, वादी कंपनी के प्रबंध निदेशक ने प्रतिवादी नं. 1 अर्थात्। , रवीन्द्र बंथिया, कि यदि वादी प्रतिवादी नं. को 3876 मीट्रिक टन लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। 1 , वे अपनी शिकायत वापस लेने का प्रबंधन करेंगे और भूखंड के लाइसेंस को रद्द होने से बचा लेंगे।

6. कि जनवरी, 2009 में, वादी पर 2 करोड़ रुपये का बकाया था। 21.50 प्रतिवादी नं. के खिलाफ लाख। 1 और प्रतिवादी के कहने पर नं। 2 , ए

17 जनवरी, 2009 को कुछ नियमों और शर्तों पर समझौता ज्ञापन (संक्षेप में, 'एमओयू') पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1 वादी को दिए गए भूखंड के लाइसेंस को सात दिनों के भीतर रद्द करने से बचाने के लिए कदम उठाएंगे और यह भी सहमति हुई कि प्रतिवादी नं। 1 रुपये का चेक देंगे। 21.50 वादी को बकाया राशि के लिए वादी को लाख। इसी तरह, वादी प्रतिवादी संख्या के पक्ष में Rs.56 लाख का चेक जारी करेगा। 1 और वही श्री दिलीप दास की हिरासत में रहेगा, अधिवक्ता-प्रतिवादी नं। 2 प्रतिभूति के रूप में, जो 3876 एम. टी. लौह अयस्क की लागत के बराबर है। वादी प्रतिवादी नं. को 3786 मीट्रिक टन लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति करेगा। 1 यदि प्रतिवादी नहीं। 1 वादी के उक्त भूखंड के लाइसेंस को रद्द होने से बचाने में सफल रहा। तदनुसार, वादी ने प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में Rs.56 लाख का चेक प्रस्तुत किया। 1 और उसे श्री दिलीप दास, अधिवक्ता-प्रतिवादी नं. 2 सूट में, सुरक्षा के रूप में। प्रतिवादी नं. 2 20 तारीख को वादी के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा

जनवरी, 2009 में यह सूचित करते हुए कि दोनों चेक उनकी अभिरक्षा में होंगे और वादी द्वारा तैयार किए गए 1 लाख रुपये के चेक को प्रतिवादी नं. 1 जब तक कि प्रतिवादी नं। 1 इसे पूरा किया

17 जनवरी, 2009 के समझौता ज्ञापन के अनुसार उपक्रम। इसके अलावा, चेक प्रतिवादी नं. 1 केवल तभी जब वादी का भूखंड लाइसेंस प्रतिवादी सं. 1 और यदि वादी प्रतिवादी को लौह अयस्क की आपूर्ति करने में विफल रहा। 1 .

7. वादी के अनुसार, प्रतिवादी नं। 1 वादी के भूखंड के लाइसेंस को रद्द करने से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और प्रतिवादी नं. की शिकायत पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। 1 पारादीप पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2009 के पत्र द्वारा। वादी के अनुसार, प्रतिवादी को चेक सौंपने का सवाल नं। 1 प्रतिवादी नं. 2 बिलकुल नहीं उठा। वादी ने भूखंड के संबंध में लाइसेंस रद्द करने के संबंध में एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और रद्द करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

2 ] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह वादी का अगला मामला है कि जब मामला इस तरह खड़ा था, तो प्रतिवादी नं। 1 और 2 ने एक दूसरे के साथ सांठगांठ की और प्रतिवादी नं। 2 विश्वास का उल्लंघन किया और चेक के रूप में वादी को धोखा दिया

Rs.56 लाख प्रतिवादी नं. 2 प्रतिवादी नं. 1 . चेक की प्राप्ति पर, प्रतिवादी नं. 1 वादी पर या तो 3876 एम. टी. लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति करने के लिए दबाव डाला या वे नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत करेंगे। चूंकि वादी लौह अयस्क की आपूर्ति करने के लिए सहमत नहीं था, इसलिए प्रतिवादी नं। 1 नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत किया गया लेकिन उसका अपमान किया गया क्योंकि वादी ने प्रतिवादी संख्या के बीच मिलीभगत के बारे में जानने पर बैंक को भुगतान रोकने के निर्देश जारी किए थे। 1 और प्रतिवादी नं। 2 . इसके बाद, प्रतिवादी नं. 1 धारा 138 के तहत जारी किया गया नोटिस परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, 'एन. आई. अधिनियम') अपने अधिवक्ता के माध्यम से 10 जून, 2009 को अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से वादी को भेजा गया था, जिसका जवाब 23 जून, 2009 को भेजा गया था। यह था, अंतर

अन्य रूप से, जवाब में कहा गया कि प्रतिवादी वादी को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, वादी ने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि जिस चेक का अपमान किया गया था, वह वादी द्वारा प्रतिवादी नं. 2 प्रतिभूति के रूप में और उस प्रतिवादी नं। 1 उक्त चेक पर कोई अधिकार अर्जित नहीं किया था क्योंकि वादी के पास कोई अधिकार नहीं था

निर्वहन का दायित्व बनाम प्रतिवादी सं। 1. वादी में यह प्रतिवाद किया गया था कि प्रतिवादी नं। 1 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। 21.50 लाख को

अपने बकाया के प्रति वादी जिसके लिए 17 जनवरी, 2009 को एक चेक जारी किया गया था, जिसे प्रतिवादी नं. 2 और जिसके संबंध में वादी ने प्रतिवादी सं. से उक्त राशि की वसूली के लिए उचित कार्यवाही शुरू करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा। 1. पक्षों के बीच और पत्राचार हुए और अंततः वादी द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ उपरोक्त मुकदमा दायर किया गया।

8. निचली अदालत द्वारा भेजे गए समन की प्राप्ति पर, प्रतिवादी नं। 1 सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत उपस्थित हुए और एक आवेदन दायर किया

इस आधार पर वाद की अस्वीकृति की मांग करते हुए कि वाद विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, 'एस. आर. अधिनियम') के प्रावधानों के तहत वर्जित होने के कारण बनाए रखने योग्य नहीं था और दूसरा, वाद तुच्छ था और प्रतिवादी नं. 1 मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा उक्त आवेदन पर आपत्ति दायर की गई थी। उक्त आवेदन पर निचली अदालत ने विचार किया और शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया। 9. पीड़ित होने के कारण, प्रतिवादी नं। 1 भुवनेश्वर में जिला न्यायाधीश, खुर्दा के न्यायालय के समक्ष धारा मेसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v के तहत 2012 की वरीयता प्राप्त सी. आर. पी. संख्या 5।

मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

115 सी. पी. सी. 20 मार्च, 2013 के आदेश द्वारा, पुनरीक्षण अदालत ने उक्त पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया, वाद को अस्वीकार करने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और वाद को खारिज कर दिया। पीड़ित होकर, वादी ने डब्ल्यू. पी. दायर की। (ग) कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 का No.7059 जिसने पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया और यह अभिनिर्धारित करते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए उक्त न्यायालय को भेज दिया कि पुनरीक्षण न्यायालय ने शिकायत को खारिज करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था। होने के नाते

उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट प्रतिवादी नं। 1 इस अपील को प्राथमिकता दी है।

10. हमने अपीलार्थी की विद्वान वकील श्रीमती राजदीपा बेहुरा और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री अनिरुद्ध संगनेरिया को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

11. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण अदालत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और अपीलार्थी द्वारा सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर पुनर्विचार के लिए मामले को उक्त अदालत को इस आधार पर भेज दिया कि पुनरीक्षण अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था। यह तर्क दिया गया था कि सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन था

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा दायर सं। 1 प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर वाद में। 1 / वादी ने इस आधार पर वाद को अस्वीकार करने की मांग की कि वाद में मांगी गई प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता था और इस तरह का वाद विचारणीय नहीं था और एस. आर. अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान के तहत वर्जित था। इसके अलावा वादी के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं था। निचली अदालत ने इन कारणों की सराहना नहीं की कि प्रतिवादी नं. 1 शिकायत को अस्वीकार करने की मांग की और उसे खारिज कर दिया। अपीलार्थी/प्रतिवादी सं। 1 सी. पी. सी. की धारा 115 के संबंध में जिला न्यायालय के समक्ष 2012 की सी. आर. पी. संख्या 5 में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई और विशेष रूप से

इसके लिए परन्तुक के रूप में, यदि प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन सं। 1 सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत पुनरीक्षण अदालत द्वारा अनुमति दी जानी थी, फिर, निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। पुनरीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी के मामले की उचित रूप से सराहना की और शिकायत को खारिज कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कहा कि पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण अदालत ने मामले को निचली अदालत में भेजने के बजाय शिकायत को खारिज करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था। सी. पी. सी. की धारा 115 [1991 के उड़ीसा अधिनियम 26, धारा 2 (डब्ल्यू. ई. एफ. 7 नवंबर, 1991) के माध्यम से] का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब निचली अदालत [2022] 14 एस. सी. आर. करने में विफल रही।

इसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए और अपीलार्थी द्वारा सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देकर वाद को अस्वीकार करने से इनकार करते हुए, पुनरीक्षण न्यायालय ने उक्त संशोधन को सही ढंग से अनुमति दी और वाद को खारिज कर दिया जिसने अंततः उक्त धारा के दूसरे परन्तुक के संदर्भ में वाद का निपटारा कर दिया। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने उड़ीसा संशोधन पर विचार नहीं किया है और पुनरीक्षण न्यायालय के प्रावधानों के संबंध में सी. पी. सी. की धारा 115 के उद्देश्य और आयात का गलत अर्थ निकाला है और पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को गलती से दरकिनार कर दिया है जिसमें वाद को खारिज कर दिया गया है और मामले को नए सिरे से विचार के लिए पुनरीक्षण न्यायालय को भेज दिया गया है। 12. उच्च न्यायालय के आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया गया कि उक्त आदेश सीपीसी (उड़ीसा) की धारा 115 के विपरीत है।

संशोधन) और इसलिए विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेश को बहाल किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वाद को अस्वीकार करने वाले पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी नं। 1 इसमें/वादी रिट याचिका दायर नहीं कर सकता था।

13. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 1 / वादी ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि जब सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देकर एक शिकायत को खारिज कर दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप सी. पी. सी. की धारा 2 (2) के अर्थ के भीतर एक डिक्री पारित की जाती है और इसलिए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि

पुनरीक्षण अदालत मामले पर नए सिरे से विचार करेगी और यदि आवश्यक हो तो वाद की अस्वीकृति के संबंध में पहलू पर विचार करने के लिए मामले को निचली अदालत में भेज देगी। प्रत्यर्थी सं. के लिए विद्वान वकील। 1 / वादी ने तर्क दिया कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।
14. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होंगेः

( क) क्या उच्च न्यायालय ने 2012 की सी. आर. पी. संख्या 5 में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया था और इस प्रकार मामले को पुनरीक्षण के लिए उक्त न्यायालय को इस आधार पर भेज दिया था कि पुनरीक्षण न्यायालय ने

शिकायत को अस्वीकार करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया?

( ख) कौन सा आदेश?

मुकदमे में वादी द्वारा मांगी गई राहत निकाल ली गई है।

ऊपर।

एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

15. ऊपर संक्षेपित शिकायत के कथनों को ध्यान में रखते हुए

और वाद में मांगी गई राहत, प्रतिवादी सं। 1 / अपीलार्थी ने यहाँ सी. पी. सी. के आदेश VII और नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें शिकायत को अस्वीकार करने की मांग की गई थी। अभियोग की अस्वीकृति तीन कारणों से मांगी गई थीः सबसे पहले, एस. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमे पर रोक लगा दी गई थी; दूसरा, मुकदमा तुच्छ था और प्रतिवादी नं. 1 ; और तीसरा, मुकदमे का जानबूझकर कम मूल्यांकन किया गया है। प्रतिवादी सं. के उक्त आवेदन पर आपत्तियाँ दायर की गईं। 1 . 19 मई, 2012 के आदेश द्वारा निचली अदालत ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। पीड़ित होने के कारण, प्रतिवादी नं। 1 धारा 115 (उड़ीसा संशोधन) के तहत 2012 का सी. आर. पी. सं. 5 दाखिल किया गया।

16. पुनरीक्षण अदालत ने संशोधन पर विचार किया और सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी जिसका प्रभाव पड़ा

अंत में सूट का निपटान। यह उक्त आदेश के खिलाफ है कि वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी जिसे अनुमति दी गई थी और मामले को इस टिप्पणी के साथ नए सिरे से विचार के लिए पुनरीक्षण अदालत में भेज दिया गया था कि पुनरीक्षण अदालत, बदले में, मामले को निचली अदालत में भेज सकती है यदि आवश्यक हो। यह इस आधार पर था कि पुनरीक्षण न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देने में अवैध रूप से कार्य करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।

17. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश की शुद्धता पर विचार करने के लिए, उच्च न्यायालय की धारा 115 का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

सी. पी. सी. और उड़ीसा संशोधन। तत्काल संदर्भ के लिए, उन्हें नीचे दिए गए अनुसार निकाला गया हैः

अधीनस्थ न्यायालय प्रकट होता है
( (क) किसी ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

( (ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या

( ग) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपनी अधिकारिता के प्रयोग में कार्य करने के लिए, उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझेः बशर्ते कि उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी भी आदेश या किसी मुद्दे पर निर्णय लेने वाले किसी भी आदेश को परिवर्तित या उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि आदेश, यदि वह [2022] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधन के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो अंततः वाद या अन्य कार्यवाही का निपटारा कर दिया जाता।

( 2 ) उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, अलग या उलट नहीं करेगा। कोई डिक्री या आदेश जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की जाती है।

( 3 ) पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही की जाती है।

उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई।

स्पष्टीकरण। इस धारा में, "कोई भी मामला जिसका निर्णय लिया गया है" अभिव्यक्ति में किया गया कोई आदेश, या किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी मुद्दे का निर्णय करने वाला कोई आदेश शामिल है।

ओरीसा संशोधन

" 115. पुनरीक्षण-उच्च न्यायालय, मूल मुकदमों या एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की अन्य कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले मामलों में, और जिला न्यायालय, किसी अन्य मामले में, जिसमें मूल वाद से उत्पन्न होने वाला मामला या सिविल प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा) के प्रारंभ से पहले स्थापित अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं।

संशोधन) अधिनियम, 1991 किसी ऐसे मामले का अभिलेख मांग सकता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसमें कोई अपील नहीं है, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय प्रकट होता है -

( (क) किसी ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया हो जो कानून द्वारा उसमें निहित न हो; या

( (ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा हो; या ( ग) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्य किया है;

मामले में ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझे; बशर्ते कि जिला न्यायालय द्वारा तय किए गए किसी मूल्यांकन के मूल मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में, अकेले उच्च न्यायालय इस धारा के तहत आदेश देने में सक्षम होगा।

बशर्ते कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय

इस धारा के तहत, किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी मुद्दे को तय करने वाले आदेश सहित किसी भी आदेश में बदलाव या उलट नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि-/ एस अंतरराष्ट्रीय सीमा से मुक्त v.

मेसर्स मिलान ऑपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

( i) आदेश, यदि इतना भिन्न या उल्टा है, तो अंत में निपटाया जाएगा

वाद या अन्य कार्यवाहियाँ; या ( (ii) यदि आदेश को कायम रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्याय की विफलता का कारण बन सकता है या उस पक्ष को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है जिसके खिलाफ वह खड़ा रहता है।

बनाया गया था।

योजना-इस खंड में, अभिव्यक्ति 'कोई भी मामला जो

निर्णय लिया गया 'में किसी मुद्दे का निर्णय करने वाला कोई भी आदेश शामिल है

किसी वाद या अन्य कार्यवाही का यूआर "।

. उसी के अवलोकन पर यह ध्यान दिया जाता है कि उड़ीसा संशोधन

सी. पी. सी. की मुख्य धारा 115 को निम्नलिखित तरीकों से लागू किया गया हैः

सबसे पहले, मुख्य धारा 115 केवल उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों से संबंधित है, जबकि सी. पी. सी. की धारा 115

( उड़ीसा संशोधन) न केवल उच्च न्यायालय को बल्कि जिला न्यायालय को भी पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है जो किसी ऐसे मामले का अभिलेख मांग सकता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है, जैसा भी मामला हो, और जिसमें कोई अपील नहीं है, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि (ए) कानून द्वारा उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग किया है; या (बी) इस तरह निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; या (सी) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कार्य किया है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह सोचता है।

फिट। दूसरा , मुख्य धारा की धारा 115 की उप-धारा (2)

0

प्रावधान में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के तहत नहीं होगा

उक्त धारा, किसी भी डिक्री या आदेश को परिवर्तित या उलट देती है जिसके खिलाफ या तो उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील की जाती है। लेकिन दूसरे प्रावधान के तहत सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उक्त धारा के तहत, किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी मुद्दे को तय करने के आदेश सहित किसी भी आदेश में बदलाव या उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि

जहाँ-(i) आदेश, यदि इतना भिन्न या उलट हो तो अंततः वाद या अन्य कार्यवाहियों का निपटारा कर देगा; या

( (ii) यदि आदेश को कायम रहने दिया जाता है, तो यह न्याय की विफलता का कारण बन सकता है या उस पक्ष को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है जिसके खिलाफ यह किया गया था।

इस प्रकार, सी. पी. सी. की मुख्य धारा 115 का पहला परंतुक उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति को सीमित करता है क्योंकि पुनरीक्षण केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब यह किसी ऐसे पक्ष द्वारा दायर किया जाता है जो किसी मुद्दे का निर्णय करने वाले आदेश पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होता है, जिसे यदि पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में किया जाता, तो अंततः मुकदमे या अन्य कार्यवाही का निपटारा कर दिया जाता। लेकिन सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे परंतुक के अनुसार, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, उक्त धारा के तहत किसी भी आदेश को बदल या उलट सकता है, जिसमें किसी मुद्दे को तय करने का आदेश भी शामिल है।

उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को, जो भी मामला हो, पुनरीक्षण न्यायालय होने के नाते, न्यायालय के आदेश को बदलने या उलटने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अधीन केवल तभी किया जाता है जब यह अंततः वाद या अन्य कार्यवाहियों का निपटारा करता है या यदि विवादित आदेश को खड़ा होने दिया जाता है तो यह न्याय की विफलता का कारण बनता है या उस पक्ष को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है जिसके खिलाफ यह किया गया था।

19. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि तत्काल मुकदमा वर्ष 2009 में दायर किया गया था और इसलिए धारा में उड़ीसा संशोधन किया गया था

115 सी. पी. सी. 1991 के उड़ीसा अधिनियम 26 की धारा 2 के अनुसार लागू होगी।

हालाँकि, 2010 के उड़ीसा अधिनियम 14 द्वारा, उप-धारा 2, धारा 115 को उड़ीसा विधानमंडल द्वारा संशोधित किया गया था और धारा 115 के दूसरे परंतुक को संशोधित किया गया है और धारा 115 की उप-धारा 2 को जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, इस धारा के तहत, किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी मुद्दे को तय करने वाले आदेश सहित किसी भी आदेश में बदलाव या उलट नहीं होगा, सिवाय इसके कि आदेश, यदि यह संशोधन के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में किया गया है, तो अंततः वाद या अन्य कार्यवाही का निपटारा करेगा।

20. इसके अलावा, धारा 115 के दूसरे परंतुक के खंड 1 को वर्ष 2010 में किए गए संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और उप-धारा 3 को जोड़ा गया है। इस प्रावधान में कहा गया है कि संशोधन लागू नहीं होगा।

न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में, सिवाय इसके कि जहां उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। धारा 115 की उप-धारा 1, उड़ीसा मैसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v के संदर्भ को छोड़कर, 1991 के उड़ीसा संशोधन के समान है।

एम/एस मिलन

वेलोपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]2010 का एन. डी. एम. टी. अधिनियम। तत्काल संदर्भ के लिए, 2010 के संशोधन (उड़ीसा संशोधन) के अनुसार धारा 115 निकाली गई है।

देरः

" धारा 115 का संशोधन। - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में धारा 115 के लिए निम्नलिखित धारा होगी -

प्रतिस्थापित, अर्थात्ः

115. पुनरीक्षण। — ( 1 ) उच्च न्यायालय, मूल वादों या पाँच लाख रुपये से अधिक मूल्य की अन्य कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले मामलों में और जिला न्यायालय, किसी अन्य मामले में, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारंभ से पहले स्थापित मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाला मामला भी शामिल है, किसी भी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा तय किया गया है, और जिसमें कोई अपील नहीं है, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय उपस्थित होता है।

( (क) किसी ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया हो जो कानून द्वारा उसमें निहित न हो; या

( (ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा हो; या ( ग) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्य किया है,

उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो,

मामले में ऐसा आदेश दें जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि जिला न्यायालय द्वारा तय किए गए किसी भी मूल्यांकन के मूल मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में, अकेले उच्च न्यायालय इस धारा के तहत आदेश देने में सक्षम होगा।

( 2 ) उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, इस धारा के तहत किसी भी आदेश को परिवर्तित या उलट नहीं करेगा, जिसमें शामिल हैंः

किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों के दौरान किए गए किसी मुद्दे का निर्णय करने वाला आदेश, सिवाय इसके कि आदेश, यदि यह पक्ष में किया गया था

पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार ने अंततः वाद या अन्य कार्यवाहियों का निपटारा कर दिया होगा।

( 3 ) पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही की जाती है।

उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा रोक लगा दी गई।

2 ] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्टीकरण इस धारा में, "कोई भी मामला जो

तय किया गया है "में किसी मुद्दे को तय करने वाला कोई भी आदेश शामिल है

किसी वाद या अन्य कार्यवाही का पाठ्यक्रम। .

[ 2010 के उड़ीसा अधिनियम 14 के अनुसार। 2 ] "

21. इसलिए हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय इस मामले में सही नहीं था।

यह देखते हुए कि पुनरीक्षण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था और वह सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन की अनुमति नहीं दे सकता था और इस तरह निचली अदालत के आदेश को उलट दिया और अंत में मुकदमे का निपटारा कर दिया। वास्तव में, उच्च न्यायालय सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे परंतुक को अपने सही परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहा है। पुनरीक्षण न्यायालय, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय होने के नाते, उस आदेश को उलट सकता है जो अंततः वाद या अन्य कार्यवाही का निपटारा करेगा। जिला न्यायालय होने के नाते पुनरीक्षण न्यायालय ने 2012 की सी. आर. पी. संख्या 5 की याचिका में ठीक यही किया है।

22. इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को पुनरीक्षण अदालत में भेज दिया।

( जिला न्यायालय) नए सिरे से विचार करने के लिए, प्रतिवादी सं। 1 / अपीलार्थी सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत की अस्वीकृति की मांग कर रहा है। वास्तव में, हम देखेंगे कि तत्काल मामले में पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे परंतुक के अनुसार है।

इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से निम्नलिखित का भी उल्लेख कर सकते हैं -

निर्णयः -

( क) गजेन्द्रगडकर, सीजे। , पाँच न्यायाधीशों द्वारा पारित एक निर्णय में

अन्य बनाम मारुति हरि जाधव और अन्य-[ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 153] ने धारा के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार किया

115 सी. पी. सी. निम्नानुसार हैः

" 10. संहिता की धारा 115 के प्रावधानों की कई मौकों पर न्यायिक निर्णयों द्वारा जांच की गई है। धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह नहीं है

तथ्य की त्रुटियों को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय के लिए सक्षम

चाहे वे कितनी भी भारी क्यों न हों, या यहाँ तक कि कानून की त्रुटियाँ भी हों, जब तक कि उक्त त्रुटियों का विवाद का परीक्षण करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता से संबंध न हो। जैसा कि धारा 115 के खंड (ए), (बी) और (ई) इंगित करते हैं, यह केवल उन मामलों में है जहां अधीनस्थ न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मुक्त है।

एम/एस मिलनपी. ई. आर. एस. एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

किसी ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या इस तरह से निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में कार्य किया है कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता को ठीक से लागू किया जा सकता है। यह कल्पना की जा सकती है कि अधीनस्थ के समक्ष शुरू की गई कार्यवाहियों में कानून के बिंदु उत्पन्न हो सकते हैं।

न्यायालय जो अधिकारिता के प्रश्नों से संबंधित हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सीमा की याचिका या न्यायपालिका की याचिका कानून की एक याचिका है जो कार्यवाही का परीक्षण करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इन दलीलों को उठाने वाले पक्ष के पक्ष में एक निष्कर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देगा, और इसलिए, इन याचिकाओं पर एक गलत निर्णय को अधिकार क्षेत्र के प्रश्नों से संबंधित कहा जा सकता है जो संहिता की धारा 115 के दायरे में आते हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए कानून के प्रश्न पर एक गलत निर्णय जिसका उस न्यायालय की अधिकारिता के प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।

धारा 115 के तहत न्यायालय।

न्यायमूर्ति अरिमन ने धारा 115 सी. पी. सी. और परंतुक पर चर्चा करते हुए कहा कि धारा 115 सी. पी. सी. के तहत दायर पुनरीक्षण याचिकाएं टेक सिंह बनाम शशि वर्मा और अन्य-[(2019) 16 सी. सी. 678] मामले में अंतर्वर्ती आदेशों के खिलाफ विचारणीय नहीं हैं। उक्त में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईंइस प्रकारः

" 6. अन्यथा भी, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का उपयोग केवल अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जाना है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है। डीएलएफ में

आवास और निर्माण कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम सरूप सिंह [डी. एल. एफ. हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम। सरूप सिंह (1969) 3 एस. सी. सी. 807: ( 1970 ) 2 एस. सी. आर. 368] यह न्यायालय

आयोजितः ( एससीसी पीपी। 811-12 , पैरा 5)

" 5. इस प्रकार यह स्थिति दृढ़ता से स्थापित प्रतीत होती है कि धारा 115 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह नहीं है

तथ्य की त्रुटियों को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय के लिए सक्षम

यद्यपि कानून की सकल या यहां तक कि त्रुटियां हैं जब तक कि उक्त त्रुटियों का विवाद का परीक्षण करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता से संबंध न हो। इस खंड के खंड (ए) और (बी) अपने सादे पठन पर स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले को शामिल नहीं करते हैं।

यह तर्क नहीं दिया गया, क्योंकि वास्तव में यह तर्क देना संभव नहीं था कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने या तो

उस अधिकारिता का प्रयोग किया जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं थी या उस आदेश को दर्ज करने में विफल रही थी कि संदर्भ के तहत कार्यवाही को समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निर्णय तक रोक दिया जाए। खंड (ग) भी हाथ में मामले पर लागू नहीं होता है। इस खंड में उपयोग किए गए शब्द "अवैध रूप से" और "भौतिक अनियमितता के साथ" तथ्य या कानून की त्रुटियों को शामिल नहीं करते हैं; वे निर्णय पर पहुंचने का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि केवल उस तरीके का उल्लेख करते हैं जिसमें यह किया जाता है। इस खंड द्वारा विचार की गई त्रुटियाँ, हमारे विचार में, या तो कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन या अंतिम निर्णय को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के भौतिक दोषों से संबंधित हो सकती हैं, न कि निर्धारित औपचारिकताओं के बाद तथ्य या कानून की त्रुटियों से। इसका पालन किया गया "।

इसलिए, तत्काल मामले में उच्च न्यायालय का यह कहना सही नहीं था कि पुनरीक्षण न्यायालय को सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर वाद को अस्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्च न्यायालय का तर्क धारा 115 (उड़ीसा संशोधन) के स्पष्ट परंतुक के विपरीत है।

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वाद की अस्वीकृति सी. पी. सी. की धारा 2 (2) के अर्थ के भीतर एक डिक्री है और एक अपील ऐसे न्यायालय के निर्णय से अपील सुनने के लिए अधिकृत न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी भी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री से होती है। हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब एक पुनरीक्षण अदालत एक शिकायत को खारिज करती है, तो आदेश VII नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन की अनुमति दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उपचार का लाभ उठाया जा सकता है और प्रतिवादी नं। 1 / वादी ने तत्काल मामले में उक्त उपाय का सहारा लिया है; हालाँकि यदि वाद को निचली अदालत यानी मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया होता, तो इसके परिणामस्वरूप सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत अपील करने का अधिकार होता।

24. सी. पी. सी. (उड़ीसा संशोधन) की धारा 115 के दूसरे परंतुक को ध्यान में रखते हुए, एक पुनरीक्षण न्यायालय सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देते हुए वाद को सारतः अस्वीकार कर देगा, लेकिन चूंकि उक्त डिक्री मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय, अर्थात् ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित नहीं की गई है, इसलिए रिट याचिका मेसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v.

मेसर्स मिलान वेलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

संविधान का अनुच्छेद 227 पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा।

और प्रत्यर्थी नं। 1 उक्त उपचार का लाभ उठाया है।

25. ऊपर के रूप में अभिनिर्धारित करने के बाद, अब हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या दूरदर्शी न्यायालय (जिला न्यायालय) सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को अनुमति देने और इस तरह शिकायत को खारिज करने में उचित था।वादी/प्रतिवादी द्वारा सं। 1 यहाँ। आगे बढ़ने से पहले, आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के साथ इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी होगाः

क) टी. अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल और अन्न. – [ ( 1977 ) 4 एस. सी. सी. 467], इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में कहा कि आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय जो निर्णय लेने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या वादी खुलासा करती है।

कार्रवाई का एक वास्तविक कारण, या कुछ विशुद्ध रूप से भ्रामक

" 5. हमें बार-बार और बिना पश्चाताप के अदालत की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग के लिए याचिकाकर्ता की निंदा करने में जरा भी संकोच नहीं है। इन से

उच्च न्यायालय के निर्णय में पाए गए तथ्यों का विवरण, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रथम मुन्सिफ न्यायालय, बैंगलोर के समक्ष अब लंबित मुकदमा, दलीलें प्राप्त करने में कानून की दया का एक स्पष्ट दुरुपयोग है। विद्वान मुन्सिफ को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादी के सार्थक और औपचारिक अध्ययन पर यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला है, और

निरर्थक, मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में, उसे आदेश 7, नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो। और, यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो आदेश 10, सी. पी. सी. के तहत पक्ष की खोज से जांच करके पहली सुनवाई में ही इसे समाप्त कर दें। एक सक्रिय न्यायाधीश गैर-जिम्मेदार कानूनी मुकदमों का जवाब होता है। निचली अदालतें पहली सुनवाई में पक्षकार की जांच करने पर अनिवार्य रूप से जोर देंगी ताकि फर्जी मुकदमेबाजी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। दंड संहिता भी ऐसे लोगों से मिलने के लिए पर्याप्त संसाधनपूर्ण है, (सी. आर. XI) और उनके खिलाफ शुरू किया जाना चाहिए। इस मामले में, विद्वान न्यायाधीश ने अपनी कीमत पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की टिप्पणी को महसूस किया

महात्मा गांधी की हत्याः होना खतरनाक है

बहुत अच्छा। "[2022]

14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी-[1986 पूरक एस. सी. सी. 325] में, इस न्यायालय ने सत्ता के उद्देश्य पर चर्चा की।

आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत इस प्रकार से प्रदान किया गयाः -

" 12. ऐसी शक्ति प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो अर्थहीन है, और विफल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे न्यायालय के समय पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और प्रतिवादी के दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। डेमोक्लिस की तलवार को बिना किसी उद्देश्य के अनावश्यक रूप से उसके सिर पर लटकाए रखने की आवश्यकता नहीं है। भले ही एक साधारण दीवानी मुकदमेबाजी हो, अदालत आसानी से एक शिकायत को अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग करती है, अगर वह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है।

सोपान में सुखदेव साबले और ओआरएस। बनाम सहायक चैरिटी आयुक्त और अन्य-[(2004) 3 एस. सी. सी. 137], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश VII का नियम 11 एक स्वतंत्र नियम निर्धारित करता है।

प्रतिवादी को मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने के लिए उपाय उपलब्ध कराया गया है, भले ही गुण-दोष के आधार पर उसे लड़ने का उसका अधिकार कुछ भी हो। कानून जाहिर तौर पर नहीं करता है

किसी भी स्तर पर विचार करें जब आपत्तियां उठाई जा सकती हैं, और लिखित बयान दाखिल करने के बारे में स्पष्ट शब्दों में भी न कहें। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'विल' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि वाद को अस्वीकार करने में अपने दायित्वों का पालन करने के लिए न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला जाता है जब उसे किसी भी मामले द्वारा प्रभावित किया जाता है। प्रतिवादी के हस्तक्षेप के बिना भी नियम 11 के चार खंडों में प्रदान की गई दुर्बलताएँ। के पहलू पर विस्तार से

आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम आई. टी. सी. लिमिटेड को उद्धृत करके कार्रवाई का कारण ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य। – [ ( 1998 ) 2 एस. सी. सी. 70], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते समय तय किया जाने वाला मूल प्रश्न है -

क्या शिकायत में कार्रवाई का वास्तविक कारण निर्धारित किया गया है या संहिता के आदेश VII नियम 11 से बाहर निकलने की दृष्टि से कुछ विशुद्ध रूप से भ्रामक कहा गया है।

यह अदालत लिवरपूल और लंदन एस. पी. और आई. एसोसिएशन में है। लिमिटेड बनाम। एम. वी. सी सक्सेस I और ए. एन. आर. - [ ( 2004 ) 9 एस. सी. सी. 512] ने अभिनिर्धारित किया कि एक वाद का अर्थ इसलिए लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह बिना किसी विवाद के खड़ा होता है।

संशोधन। उसी को यहाँ इस प्रकार निकाला गया हैः

" 139. क्या कोई शिकायत कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है।

लेकिन क्या यह एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v करता है या करता है। एम/एस मिलन

ऑपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

नहीं, इसका पता शिकायत को पढ़कर ही लगाया जाना चाहिए। उक्त प्रयोजन के लिए वाद में किए गए कथन पूरी तरह से सही माने जाने चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या अभियोग में किए गए कथनों को पूरी तरह से सही माना जाता है, तो एक डिक्री पारित की जाएगी।

हम मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल-[(2017) 13 एस. सी. सी. 174] मामले में इस न्यायालय के स्पष्टीकरण का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

लिखित कथन के साथ-साथ विवाद वादी की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना पर विचार करते समय प्रतिवादी पूरी तरह से महत्वहीन होते हैं। यहां तक कि जब वाद में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर समग्र रूप से सही माना जाता है, अगर वे दिखाते हैं कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, या कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं, तो वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है और शक्ति

सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रयोग किया जा सकता है। यदि वाद का चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो अदालत इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देगी ताकि

फर्जी मुकदमेबाजी शुरुआती चरण में समाप्त हो जाएगी।

दहीबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुशाली (गजरा) डैड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स-[(2020) 7 एस. सी. सी. 366] में, जे. इंदु मल्होत्रा ने एक मुकदमे को खारिज करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ एक अपील पर विचार करते हुए, विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा करने का अवसर दिया।

उसी के संबंध में सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. का इरादा और उद्देश्य। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश VII नियम 11 का प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है और यदि खंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट आधारों में से कोई भी बनाया जाता है तो शिकायत को "खारिज" कर दिया जाएगा। यदि न्यायालय को पता चलता है कि वाद कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, या कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, तो न्यायालय के पास [2022] 14 एस. सी. आर. को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्टदागदार। निर्णय के प्रासंगिक भाग को इस प्रकार निकाला गया है -

इलोः

" 23.1 XXXXX

23.2 आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत उपचार एक है

स्वतंत्र और विशेष उपचार जिसमें न्यायालय है

साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही के बिना, और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए, यदि यह संतुष्ट है कि कार्रवाई को किसी भी आधार पर समाप्त किया जाना चाहिए, तो किसी मुकदमे को संक्षिप्त रूप से खारिज करने का अधिकार है।

इस प्रावधान में निहित है।

23.3 आदेश VII नियम 11 (ए) का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि यदि किसी मुकदमे में कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया जाता है, या नियम 11 (डी) के तहत मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो न्यायालय वादी को मुकदमे में कार्यवाही को अनावश्यक रूप से बढ़ाने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे मामले में, एक डालना आवश्यक होगा

नकली मुकदमेबाजी का अंत, ताकि आगे न्यायिक समय न आए

बर्बाद हो गया।

23.4 अजहर हुसैन बनाम। राजीव गांधी, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रावधान के तहत शक्तियों को प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो अर्थहीन है, और विफल साबित होने के लिए बाध्य है, की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायालय का न्यायिक समय बर्बाद करना। 23.5 हालाँकि, दीवानी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अदालत को प्रदान की गई शक्ति कठोर है, और आदेश VII नियम 11 में उल्लिखित शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

23.6 आदेश VII नियम 11 के तहत, न्यायालय पर यह निर्धारित करने का कर्तव्य डाला गया है कि क्या वादी, वाद में दिए गए कथनों की जांच करके कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है।

निर्भर दस्तावेजों के साथ संयोजन, या क्या

मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है।

23.7 एक्स एक्स एक्स एक्स एक्स

23.8 आदेश 7 नियम 14 को ध्यान में रखते हुए, आदेश 7 नियम 11 (ए) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए शिकायत के साथ दायर दस्तावेजों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

जब एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. एम/एस मिलन

ऑपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

शिकायत में निर्दिष्ट एक दस्तावेज़, आधार बनाता है

वाद, इसे वाद के एक भाग के रूप में माना जाना चाहिए। 23.9 इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या शिकायत में किए गए दावे वैधानिक कानून या न्यायिक आदेश के विपरीत हैं, यह तय करने के लिए कि क्या शिकायत को खारिज करने का मामला सीमा पर बनाया गया है।

23.10 इस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में की गई दलीलें और गुण-दोष के आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन अप्रासंगिक होगा, और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है।

या विचार में लिया गया। "

राजेंद्र बाजोरिया और अन्य बनाम के हालिया फैसले में।

हेमंत कुमार जालान और अन्य-[2021 एससीसी ऑनलाइन

एस. सी. 764], यह न्यायालय आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के अंतर्निहित उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए और विभिन्न उदाहरणों पर विचार करते हुए

इस न्यायालय का, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

अदालत पर यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा करती है, वाद में कथनों की जांच करके, उन दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाता है जिन पर भरोसा किया जाता है, या क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि जब कोई शिकायत कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है, तो अदालत वादी को अनावश्यक रूप से कार्यवाही को बढ़ाने की अनुमति नहीं देगी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में बनावटी मुकदमेबाजी को समाप्त करना आवश्यक होगा ताकि

आगे न्यायिक समय बर्बाद नहीं होता है। "

हरदेश ओरेस (पी.) लिमिटेड बनाम के मामले पर भरोसा करते हुए। हेडे और 07) 5 एस. सी. सी. 614], यह माना गया था कि कुल करने की अनुमति नहीं है।एनस या एक परिच्छेद, और इसे अलग से पढ़ना। वह पदार्थ है,

वह रूप, जिस पर गौर किया जाना चाहिए। अभियोग को शब्दों के जोड़ या घटाव के बिना, जैसा है वैसा ही संपादित करना होगा। इसके अलावा

डी. रामचंद्रन बनाम में अनुपात की गणना करें। आर. वी. जानकीरमन-[2022] 14 एस. सी. आर.

[ ( 1999 ) 3 एस. सी. सी. 367], यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि वाद में आरोप प्रथम दृष्टया कार्रवाई का कारण दिखाते हैं, तो न्यायालय इस बात की जांच शुरू नहीं कर सकता कि क्या आरोप वास्तव में सच हैं।

27. यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यदि वाद को सार्थक रूप से पढ़ने पर, यह पाया जाता है कि मुकदमा स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला है और बिना किसी योग्यता के है, और मुकदमा करने के अधिकार का खुलासा नहीं करता है, तो अदालत आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित होगी। सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य-[(2003) 1 एस. सी. सी. 557] पर भरोसा रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा वाद के किसी भी चरण में, या तो शिकायत दर्ज करने से पहले या प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद, या मुकदमे के समापन से पहले किया जा सकता है।

28. शिकायत को पढ़ने पर, तत्काल मामले में यह ध्यान दिया जाता है कि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है क्योंकि 17 जनवरी को समझौता ज्ञापन,

2009 , वादी और प्रतिवादी के बीच दर्ज किया गया नं। 1 उपस्थिति में

प्रतिवादी नं. 2 और उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार किए गए कार्य वादी की शिकायत का आधार हैं। वादी के अनुसार, रुपये का चेक। 56 उनके द्वारा प्रतिवादी नं. के पक्ष में लाख जारी किए गए थे। 1 और

श्री दिलीप दास को सौंपा गया, अधिवक्ता-प्रतिवादी नं। 2 प्रतिभूति के रूप में इस समझ के साथ कि उक्त चेक प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी नं. 1 जब तक कि प्रतिवादी नं। 1 अपने वचन को पूरा करता है और प्लॉट नं. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी द्वारा वादी के पक्ष में जारी आरएस-4 को रद्द करने से रोक दिया गया है। नतीजतन, वादी उक्त भूखंड की तुलना में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के लाइसेंसधारी के रूप में बना रहेगा। वादी के अनुसार, प्रतिवादी नं। 1 वादी के लाइसेंस को रद्द करने से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इसे प्रतिवादी नं. 1 पारादीप पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी द्वारा 18 फरवरी, 2009 को लिखे पत्र के माध्यम से। अतः प्रतिवादी का प्रश्न सं। 2 रुपये का चेक सौंपना। 56 प्रतिवादी नं. को लाख। 1 नहीं उठा। इसके अलावा, वादी पर दबाव डाला गया था

प्रतिवादी नं. को 3876 एम. टी. लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति करना। 1 या फिर प्रतिवादी नहीं। 1 नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत करेंगे। चूँकि वादी प्रतिवादी सं. की अवैध मांग से सहमत नहीं था। 1 , Rs.56 लाख का चेक जो प्रतिवादी नं. 2 प्रतिवादी नं. 1 , प्रतिवादी नं. द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1 और इसका अपमान किया गया। वादी के अनुसार, प्रतिवादी नं। 2 और प्रतिवादी नं। 1 अवैध लाभ कमाने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की और प्रतिवादी नं। 2 प्रतिवादी नं. को चेक नहीं सौंप सकता था। 1. इसलिए, मेसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v को एक पत्र लिखा गया था।

मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

बैंक ने उन्हें चेक का भुगतान रोकने का निर्देश दिया और उसी के बारे में प्रतिवादियों को बताया गया। उक्त चेक का अनादर किया गया था। प्रतिवादी नं. 1 10 जून, 2009 को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत वादी को उसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 23 जून, 2009 को दिया गया था। वादी के अनुसार, प्रतिवादी नं। 1 वादी को रु। 21.50 लाख लेकिन वादी को प्रतिवादी को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। 1. इसलिए, प्रतिवादी नं। 1 वादी को चेक लौटाना कर्तव्य है, लेकिन दूसरी ओर, प्रतिवादी चेक पेश करके वादी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए मुकदमे में कुछ राहत मांगी गई थी। घोषणा की राहत इस प्रभाव से मांगी गई थी कि वादी द्वारा प्रतिवादी नं. 2 एक प्रतिभूति के रूप में था; कि चेक अवैध रूप से प्रतिवादी नं। 2 प्रतिवादी नं. 1 17 जनवरी, 2009 के समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए और यह कि वादी न तो प्रतिवादी नं. 1 न ही रुपये की राशि का भुगतान करना। 56 लाख चूंकि प्रतिवादी नं। 1 था।

29. शुरुआत में, हम मानते हैं कि शिकायत के कथनों के अवलोकन पर, वादी ने वास्तव में मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण बनाया है। में। वास्तव में, आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन के पैरा 2 में,

प्रतिवादी नं. 1 शिकायत में किए गए कथनों को भी शामिल किया गया है। इसलिए, इस आधार पर शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है।

30. प्रतिवादी का दूसरा तर्क सं। 1 यह है कि वाद में दलीलों और कथनों और उसमें मांगी गई प्रार्थनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कुछ घोषणात्मक राहतों की मांग की गई है और इसके अलावा, प्रार्थना करने के लिए परिणामी राहतों को छोड़ दिया गया है। इसलिए, मुकदमा एस. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्जित है और खारिज होने के लिए उत्तरदायी है और शिकायत आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।

31. आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर दायर आपत्तियों में, यह अनुमान लगाया गया है कि शिकायत के अभिकथन स्पष्ट रूप से

मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण दिखाएँ और आगे यह कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं है। इसके अलावा, घोषणात्मक राहतों का उचित मूल्यांकन किया गया है और उचित अदालत शुल्क का भुगतान किया गया है। अतः आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, वाद की अस्वीकृति की मांग करने वाले आवेदन का मुख्य जोर इस तथ्य के अलावा है कि वाद एक कारण [2022] 14 एस. सी. आर. का खुलासा नहीं करता है।

जिस कार्रवाई को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और ठीक ही है, वादी ने केवल घोषणात्मक राहत की मांग की है और आगे या परिणामी राहत की मांग नहीं की है। इन परिस्थितियों में, मुकदमा एस. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्जित है।

एस. आर. अधिनियम की धारा 34 निम्नानुसार हैः

" 34. स्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार। - कोई भी।

किसी भी कानूनी चरित्र, या किसी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, जो इस तरह के चरित्र या अधिकार के लिए अपने अधिकार से इनकार कर रहा है, या इनकार करने में रुचि रखता है, और अदालत अपने विवेक से उसमें घोषणा कर सकती है कि वह इतना हकदार है, और वादी को ऐसे मुकदमे में आगे कोई माँग करने की आवश्यकता नहीं है।

राहत मिलती हैः

बशर्ते कि कोई भी अदालत ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहां वादी, केवल स्वामित्व की घोषणा के अलावा और राहत लेने में सक्षम होने के कारण, ऐसा करने से चूक जाता है।

स्पष्टीकरण। संपत्ति का न्यासी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के शीर्षक के प्रतिकूल शीर्षक को अस्वीकार करने में रुचि रखता है जो संपत्ति में नहीं है।

जिनका अस्तित्व है और यदि अस्तित्व में हैं तो वे ट्रस्टी होंगे।

धारा 34 के परंतुक में कहा गया है कि कोई भी अदालत ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकती है जहां वादी, केवल स्वामित्व की घोषणा के अलावा और राहत लेने में सक्षम होने के कारण, ऐसा करने से चूक जाता है। उक्त प्रश्न पर वाद के अंतिम निर्णय के समय विचार करना होगा क्योंकि आगे राहत या परिणामी राहत देने का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब अदालत एक घोषणा प्रदान करेगी। यदि वादी घोषणा की मुख्य राहत की मांग करने में असफल रहता है, तो आगे कोई राहत देने का सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए, आगे परिणामी राहत के लिए प्रार्थना करने में वादी की ओर से चूक, केवल प्रासंगिक होगी वाद के अंतिम निर्णय का समय। इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर वाद को यह मानते हुए खारिज नहीं किया जा सकता है कि वादी ने केवल घोषणात्मक राहत की मांग की है और आगे कोई परिणामी राहत नहीं।

32. वाद की अस्वीकृति के लिए उद्धृत दूसरा कारण यह है कि वाद वादी की ओर से प्रतिवादी नं. 1 इसका

वैध देय राशि। दूसरे शब्दों में, वादी एक घोषणा की मांग कर रहा है कि रुपये का चेक। 56 प्रतिवादी सं. के नाम पर जारी किए गए लाख। 1 और प्रतिवादी नं. को सौंप दिया। 2 बदले में प्रतिवादी नं. 1 उचित समय पर केवल एक सुरक्षा के रूप में था। वादी के अनुसार यह प्रतिवादी को चेक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

1 एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. एम/एस मिलन

वेलोपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

प्रतिवादी नं. 1 की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था

सोयू। जिन घोषणात्मक राहतों की मांग की गई है, वे इस प्रकार हैं:

" ( i) यह घोषित किया जाए कि वादी ने सौंप दिया था

श्री दिलीप दास, अधिवक्ता को प्रतिभूति के रूप में चेक;

यह घोषित किया जाए कि उक्त चेक अवैध रूप से किया गया है।

( (ख)

प्रतिवादी नं. द्वारा सौंपा गया। 2 प्रतिवादी नं. 1 ज्ञापन की अवधि और शर्तों का उल्लंघन करके

दिनांकित समझ 17.01.2009;

यह घोषित किया जाए कि वादी डिलीवरी देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

( iii)

प्रतिवादी सं. को 3876 एम. टी. लौह अयस्क जुर्माना। 1 न ही चेक राशि क्योंकि प्रतिवादी नं। 1 वादी के भूखंड को रद्द करने से बचाने में विफल रहा है; "

इसलिए, यह प्रतिवादी नं. 1 कि मुकदमा दायर किया गया है

झगड़ा प्रतिवादी नं. की संभावना को विफल करने का एक प्रयास है। 1

के अपमान के लिए एन. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई 1 ई. इस संबंध में, एन. आई. अधिनियम की धारा 118 (ए) का संदर्भ दिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

" 118. परक्राम्य उपकरणों के बारे में अनुमान। तब तक

इसके विपरीत, निम्नलिखित अनुमान लगाए जाएंगे:

( क) इस बात पर विचार करना कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत बनाई गई थी।

या विचार के लिए तैयार किया गया है, और यह कि ऐसा प्रत्येक दस्तावेज, जब इसे स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है, बातचीत की गई है या स्थानांतरित किया गया है, स्वीकार किया गया, इंडोर किया गया, बातचीत की गई या विचार के लिए स्थानांतरित किया गया;

XXX XXX XXX

138. निधि की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर

खाता। जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी खाते पर कोई चेक निकाला जाता है।

किसी भी राशि के भुगतान के लिए एक बैंकर के साथ उसके द्वारा बनाए रखा गया

निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को धन,

किसी भी ऋण या अन्य देयता का पूरा या आंशिक रूप से, बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, या तो धन की राशि के कारण

उस खाते की जमा राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या कि यह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली व्यवस्था की गई राशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के

इस अधिनियम के अन्य प्रावधान, [ए [2022] 14 एस. सी. आर. के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा।

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि ( क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उस अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस दिन इसे निकाला गया है।

इसकी वैधता, जो भी पहले हो;

( ख) प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में, चेक के ड्रॉअर को नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; लिखित रूप में, उसके द्वारा चेक से जानकारी प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर]

भुगतान न किए गए चेक की वापसी के संबंध में बैंक; और

( ग) इस तरह के चेक का आहरणकर्ता चेक के नियत समय के भीतर, भुगतान के पंद्रह दिनों के भीतर, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है। उक्त सूचना की प्राप्ति।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अन्य का ऋण

"देयता" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता। ”

33. उसी को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि एक खंडन योग्य धारणा है कि एक चेक सहित प्रत्येक परक्राम्य साधन था विचार के लिए बनाया या तैयार किया गया और ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जब स्वीकार किया जाता है तो विचार के लिए होता है।

34. तत्काल मामले में, शिकायत के पैराग्राफ 13 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जारी किए गए चेक का अपमान किया गया था और प्रतिवादी नं। 1

10 जून, 2009 को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत वादी को नोटिस जारी किया गया था और इसके प्रबंध निदेशक ने 23 जून, 2009 को अपने वकील के माध्यम से इसका जवाब दिया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि वादी ने उपरोक्त राहतों की मांग करके वास्तव में इस अधिकार को हतोत्साहित कर रहा है -

प्रतिवादी नं. 1 प्रतिवादी सं. को वादी द्वारा जारी चेक की राशि जारी करने के लिए एन. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कदम उठाना। 1 रु. की राशि के लिए। 56 दीवानी मुकदमा दायर करके और/या आपराधिक अभियोजन शुरू करके लाखों। दूसरे शब्दों में, इस तरह की घोषणा की मांग करके कि चेक एक प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था और उसे प्रतिवादी नं। 2 प्रतिवादी नं. 1 समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए, वादी वास्तव में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की जा रही कार्यवाही को विफल करने या दीवानी मुकदमा दायर करके राशि की वसूली का प्रयास कर रहा है।

एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v. मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

35. अभियोग के समग्र अध्ययन और विचार पर

वादी द्वारा मांगी गई राहत, हम पाते हैं कि उक्त राहत कानून द्वारा वर्जित हैं क्योंकि किसी भी वादी को मुकदमे में राहत लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो प्रतिवादियों को उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने से हतोत्साहित करेगा।

वादी या कानून में उपलब्ध किसी अन्य उपाय की मांग करना। वास्तव में, वादी द्वारा इस तरह की घोषणात्मक राहत की मांग करने का प्रयास, वास्तव में, प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा की राहत की मांग करना है, विशेष रूप से प्रतिवादी नं। 1 , लेकिन इसे एक घोषणात्मक राहत की प्रकृति में तैयार किया गया। दूसरे शब्दों में, वादी ने प्रतिवादी नं. 1 वादी द्वारा रुपये की राशि के लिए जारी किए गए चेक के कारण कानून में उपचार की मांग करने से। 56 लाखों का अपमान किया जा रहा है।

36. हम एस. आर. अधिनियम की धारा 41 (बी) और (डी) का उल्लेख कर सकते हैं जो हैं -

निम्नानुसार निकाला गयाः -

" 41. इंकार किए जाने पर इंजेक्शन। - XXX

( ख) किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था को स्थापित करने या मुकदमा चलाने से रोकना।

किसी ऐसे न्यायालय में कार्यवाही करना जो उसके अधीन न हो जिससे

निषेधाज्ञा की मांग की जाती है;

XXX

XXX

XXX

( (घ) किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था को स्थापित करने या मुकदमा चलाने से रोकना।

आपराधिक मामले में कार्यवाही; "

उपरोक्त संदर्भ में, निम्नलिखित निर्णय संदर्भित करने के लिए उपयोगी हैं।

करने के लिएः

( क) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड और अन्य के मामले में। - [ ( 1983 ) 4 एस. सी. सी. 625], यह न्यायालय

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (बी) में अंतर्निहित न्यायसंगत सिद्धांत पर प्रकाश डाला गयाः -

" 8. इसलिए, धारा 41 (6) में निहित प्रावधान के अंतर्निहित इरादे को उजागर करना आवश्यक है। यह तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए कि धारा 41 स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है और यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि इसका अंतरिम या अस्थायी निषेधाज्ञा से कोई लेना-देना नहीं है, जो धारा 37 द्वारा प्रदान की गई है और जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निपटाया जाता है। शुरुआत में, यह विरोधाभास के डर के बिना कहा जा सकता है कि जिस किसी के पास अधिकार है वह है

कानूनी रूप से संरक्षित हित इसके उल्लंघन की शिकायत करता है और अदालत के माध्यम से राहत चाहता है, कानून अदालतों में एक निर्बाध, निर्बाध पहुंच होनी चाहिए। यहाँ 'अदालत' अभिव्यक्ति का उपयोग इसके सबसे व्यापक [2022] 14 एस. सी. आर. में किया गया है।

आयाम प्रत्येक मंच को समझता है जहाँ राहत प्राप्त की जा सकती है

कानून के अनुसार। न्याय तक पहुँच में बाधा नहीं आनी चाहिए न्यायपालिका के हाथों में भी। निषेधाज्ञा देने की शक्ति निहित है

न्यायालय जब तक कि विधायिका विशेष रूप से ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करती है

किसी अन्य मंच पर। अब न्याय की तलाश में अदालत तक पहुंच कानून के अनुसार शिकायत करने वाले व्यक्ति का अधिकार है

उसके कानूनी रूप से संरक्षित हित और एक अधिकार का उल्लंघन

इसलिए, कोई अन्य न्यायालय अपनी कार्रवाई से न्याय तक पहुंच में बाधा नहीं डाल सकता है।

यह सिद्धांत संविधान से निकाला जा सकता है जो चाहता है कि - कानून द्वारा शासित समाज की स्थापना की। एक परिणाम के रूप में, इसे एक अन्य सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को कार्यवाही शुरू करने या मुकदमा चलाने से रोककर उसे रोक सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष। इस विशिष्ट नक्काशी को बचाएँ

क्षेत्र जहाँ न्याय तक पहुँच एक निषेधाज्ञा द्वारा बाधित हो सकती है

न्यायालय, विधायिका ने इच्छा व्यक्त की कि न्यायालयों को आम तौर पर

न्यायालय के माध्यम से न्याय तक पहुँच में बाधा नहीं डालना। यह हमें धारा 41 (बी) में अंतर्निहित न्यायसंगत सिद्धांत प्रतीत होता है। तदनुसार,

इसे ऐसी व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए जो आगे बढ़ेगी

निर्बाध "। ( ख) रत्ना कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम

टेक लिमिटेड-[AIR 2008 डेल 99], यह आयोजित किया गया थाः -

" 29. दूसरा मुद्दा विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 41 (डी) के संदर्भ में मुकदमे की रखरखाव से संबंधित है। ( ' एस. आर. ए. ') जो इस प्रकार हैः

" 41. निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती... (घ) किसी को रोकने के लिए।

किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही शुरू करने या मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति

बात है "। एस. आर. ए. की धारा 41 (डी) की व्याख्या से संबंधित कानून काफी अच्छी तरह से स्थापित है। यह रे एन. पी. एसप्पा में आयोजित किया गया है।

चेट्टियार एयर 1942 मैड। 756 और गौरी शंकर बनाम। जिला

बोर्ड एयर 1947 ऑल। 81 कि अपराधी को रोकने के लिए एक मुकदमा

शुरू की जा रही कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं है। अरिस्टो प्रिंटर्स में

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड पीठ एक मामले पर विचार कर रही थी मामला जहाँ वादी द्वारा प्रतिवादी को जारी किए गए चेक थे

अपमानित किया गया और प्रतिवादी मेसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v को नोटिस जारी किया गया था।

मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी) लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

इस मामले में जारी की गई प्रकृति की अनुमति नहीं दी जा सकती है और आपराधिक अदालत के हाथों को दीवानी अदालत द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। 30. अतुल कुमार सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय का निर्णय। जलवीन रोशा एयर 2000 डेल 38 एक ऐसे मामले में थी जहां वादी ने प्रतिवादी के पक्ष में रुपये के मूल्य के चार चेक जारी किए थे। 7 एक लाख। जब चेक पेश किए गए तो उनका अपमान किया गया। धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत नोटिस की सेवा के बाद, वादी ने एक घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि "प्रतिवादी चेक रखने के कारण किसी भी लाभ का हकदार नहीं है" और प्रतिवादी को किसी भी लाभ का उपयोग करने या दावा करने से रोकता है।

जिनके पास उपकरण हैं। " इस न्यायालय ने वादी को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि (ए. आई. आर.,

पी। 40 ) :

" इस मुकदमे में दावा की गई राहत प्रतिवादी को आपराधिक मामले में मुकदमा चलाने से रोकने वाले निषेधाज्ञा के लिए सार में हैं।

वादी के खिलाफ स्थापित किया गया। एस. आर. ए. की धारा 41 (बी) न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में किसी भी कार्यवाही पर मुकदमा चलाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने के अधिकार क्षेत्र से इनकार करती है। नतीजतन, वादी द्वारा मांगी गई निषेधाज्ञा को मंजूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रभाव प्रतिवादी को उनके खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा चलाने से रोकने का होगा। वादी "।

इसके अलावा, मांगी गई घोषणात्मक राहत की प्रकृति पहले से ही वादी और वादी के बीच 17 जनवरी, 2009 के समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होती है। प्रतिवादी नं. 1 जिसके संबंध में वादी उचित मांग कर सकता है

उपाय, यदि प्रतिवादी सं. द्वारा उक्त समझौता ज्ञापन का उल्लंघन किया गया है। 1 , लेकिन वादी इस आशय की घोषणात्मक राहत की मांग नहीं कर सकता है कि वादी

समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत अपने दायित्व का पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। यदि वादी ऐसा करने में विफल रहा है तो प्रतिवादी नं। 1 वादी के खिलाफ कार्रवाई का कारण होगा, लेकिन तत्काल मामले की तरह अनुबंध या समझौता ज्ञापन के तहत घोषणा की मांग के माध्यम से कानूनी रूप से उपचार की मांग करने के अधिकार की निराशा नहीं हो सकती है।

37. इसके अलावा, प्रतिवादी का अधिकार सं। 1 वादी द्वारा जारी किए गए चेक के अपमान के कारण वादी पर मुकदमा चलाने के लिए

रु. 56 उक्त चेक को प्रतिभूति के रूप में सौंपने की घोषणा की मांग से लाखों निराश नहीं हो सकते हैं। ऐसी घोषणा को प्रत्यक्ष रूप से मंजूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एन. आई. अधिनियम और विशेष रूप से इसकी धारा 118 (ए) के प्रावधानों के विपरीत होगी। यदि वादी प्रतिवादी सं. द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण व्यथित है। 1 तब वह कानून के अनुसार उचित राहत की मांग कर सकता है। क्या वादी रुपये का चेक जारी करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। 56 प्रतिवादी नं. को लाख। 1 समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत एक ऐसा मामला है जिस पर एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत उक्त चेक के अपमान के कारण प्रतिवादियों द्वारा शुरू की जाने वाली उचित कार्यवाही में विचार किया जाना चाहिए। वादी हमेशा यह साबित कर सकता है कि उसका कोई कानूनी दायित्व या ऋण नहीं था जिसे प्रतिवादी सं. 1 समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत, यदि कोई कार्यवाही प्रतिवादी नं. 1 पर

उक्त चेक के अपमान का लेखा। इसके अलावा, यदि प्रतिवादी नं। 1 उसी समझौता ज्ञापन के तहत वादी द्वारा 3876 एम. टी. लौह अयस्क जुर्माने की आपूर्ति न करने के लिए कोई राहत मांगना है, तो वादी उचित बचाव लेने का हकदार है जैसा कि कानून में उपलब्ध है। यदि वादी को प्रतिवादियों और विशेष रूप से प्रतिवादी के खिलाफ कोई शिकायत है। 1 , समझौता ज्ञापन से उत्पन्न इस तरह की प्रार्थना वादी द्वारा नहीं मांगी गई है। वादी द्वारा इस तरह की राहत की मांग की जा सकती थी क्योंकि रुपये की वसूली के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। 21.50 प्रतिवादी नं. से लाखों। 1 जो वादी के अनुसार इसके कारण है।

38. इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि जबकि वादी को समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाली कुछ शिकायतें हैं, प्रतिवादियों के खिलाफ जो हो सकती हैं

कानून में उचित उपचार की तलाश करने के लिए, उपरोक्त तीन

शिकायत में मांगी गई घोषणात्मक राहत कानून द्वारा वर्जित है। इसलिए, आदेश VII नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए शिकायत को खारिज किया जा सकता है। हमारे विचार में, पुनरीक्षण अदालत ने वाद को अस्वीकार करने में न्यायसंगत था, लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना किए बिना पुनरीक्षण अदालत के आदेश को गलती से दरकिनार कर दिया है और इस आधार पर पुनरीक्षण पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए मामले को पुनरीक्षण अदालत को भेज दिया है कि पुनरीक्षण अदालत के पास सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत वाद को अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

39. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और एम/एस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड v के सी. आर. पी. संख्या 5 में पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश पारित किया जाता है।

मेसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स (पी)

लिमिटेड। [ बी. वी. नागरत्ना, जे.]

2012 दिनांकित 23.02.2013

पुनर्स्थापित किया गया है। 2009 के सी. एस. सं. 1065 में शिकायत खारिज कर दी गई है। तदनुसार इस अपील की अनुमति दी जाती है।

40. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वाद की अस्वीकृति वादी द्वारा प्रतिवादी नं. 1 कानून के अनुसार उचित राहत प्राप्त करने के लिए, यदि ऐसा सलाह दी जाती है।

दल अपन-अपन लागत वहन करत।

निधि जैन

( तमन्ना, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)